

प्ररूप क्रमांक 10
(नियम 13 देखिए)

अप्राप्यता प्रमाण पत्र

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 17 के अधीन जारी किया गया)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/पत्नी/पुत्री श्री के निवेदन पर
वर्ष (वर्षों) (स्थानीय क्षेत्र)
तहसील जिला
राज्य के रजिस्ट्रीकरण अभिलेख की तलाशी ली गई और पाया
गया कि पुत्र/पत्नी/पुत्री
के जन्म / मृत्यु सम्बन्धी घटना रजिस्ट्रीकृत नहीं है ।

दिनांक

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
सील